पौधे बांटे कोटा, (निसं)। कारगिल विजय दिवस पर खत्री पंजाबी समाज द्वारा कारगिल में 527 शहीदों के सम्मान में बालिका उमा विद्यालय की अध्यापिकाओं और छात्राओं को 527 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये।

कार्यालय नगर पालिका भवानीमण्डी
जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः-न.पा.भ./भूमि/2024/1297 दिनांकः-26.07.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका भवानीमण्डी में सीमान्तर्गत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण/लीज हस्तांतरण/निर्माण स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 योम कार्यालय नगर पालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई उज्र समाअत न होगा।

क्र.सं.	नाम/पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	श्री दिनेश कुमार आ. श्री भैरुलाल	प्लाट नं. 31 संगम विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
2	श्रीमती शीतल जैन पत्नी श्री शीतल जैन	वार्ड नं. 01 पचपहाड़ रोड भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
3	श्री पंकज कुमार आ. श्री श्यामलाल	प्लाट नं. 16 प्रेमलता नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
4	श्री मुनीरुद्दीन आ. मोहम्मद मोफीरुद्दीन	प्लाट नं. 122 का उत्तरी भाग रामप्रताप मीणा की कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
5	श्री बबलु कुमार आ. श्री राजूलाल	हरिजन बस्ती माण्डवी रोड के पीछे भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
6	श्री आदीश हुसैन गोरी आ. श्री जाकिर हुसैन गोरी	श्री दाउजी के मन्दिर के पास वार्ड नं. 11 पचपहाड़	लीज हस्ता.
7	श्रीमती गुड्डी बाई पत्नी श्री लालचंद	कुम्हार मोहल्ला वार्ड नं. 08 पचपहाड़	लीज हस्ता.
8	श्रीमती किरण गुप्ता पत्नी श्री अजय कुमार गुप्ता	प्लाट नं. ई-16 शिव नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
9	श्री सुरेश जैन आ. श्री तेजमल जैन	प्लाट नं. ए 49 अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
10	श्री घनश्याम राठौर आ. श्री नन्दराम राठौर	प्लाट नं. 56 गौत्तम नगर आवासीय कालोनी शिवालय के पास भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
11	श्रीमती नरगिस बी पत्नी श्री आशिक मोहम्मद	प्लाट नं. 13 द्वारिकाधीश मंदिर के पीछे वार्ड नं. 07 पचपहाड़	लीज हस्ता.
12	श्री आशिक मोहम्मद आ. श्री नजर मोहम्मद	प्लाट नं. 12 द्वारिकाधीश मंदिर के पीछे वार्ड नं. 07 पचपहाड़	लीज हस्ता.
13	श्रीमती कृष्णा मीणा पत्नी श्री विनोद कुमार मीणा	प्लाट नं. 160 शान्ति श्री आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
14	श्री श्यामलाल शर्मा आ. श्री भंवर लाल शर्मा	प्लाट नं. 21 का दक्षिणी भाग शान्ति श्री आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
15	श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री राकेश कुमार	प्लाट नं. 98 शान्ति श्री आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्ता.
16	श्रीमती प्रेम बाई मेघवाल पत्नी श्री दिनेश कुमार मेघवाल	मेघवालों का मोहल्ला वार्ड नं. 03 पचपहाड़	अनापत्ति प्रमाण पत्र
17	श्री जगदीश चन्द आ. श्री मांगीलाल	जामा मस्जिद से नदी वाले रास्ते पर वार्ड नं. 07 पचपहाड़	अनापत्ति प्रमाण पत्र
18	श्री अनमोल सिंह आ. श्री हरविंदर सिंह एवं श्री प्रीतपाल सिंह आ. श्री मुल्कराज सिंह	दीनदयाल उपाध्याय आवासीय कालोनी शमशान पार्क के सामने प्लाट नं. एस-78, एस-79 एवं एस 80 वार्ड नं. 2 भवानीमण्डी	प्लॉट का पुर्नगठन
19	श्रीमती रानी शर्मा पत्नी श्री ईश्वर चन्द	प्लाट नं. बी 182 का दक्षिणी भाग अनन्त विहार आवासीय कालोनी रेलवे क्रासिंग के पास भवानीमण्डी	प्लॉट का उपविभाजन
20	श्रीमती रफिकन पत्नी श्री चांद खां	एकता नगर कालोनी प्लाट नं. 15 भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
21	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री सिपाही यादव	न्यूदरा खोली आवासीय कालोनी प्लाट नं. 69 का पश्चिमी भाग भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
22	श्री लालचन्द आ. श्री भंवरलाल	गंगा आवासीय कालोनी प्लाट नं. 02 भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
23	श्री ईश्वर सिंह आ. श्री सौदान सिंह	लीला विहार आवासीय कालोनी प्लाट नं. 33 माण्डवी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
24	श्री रोहिताश कुमार आ. श्री नाथूराम	प्लाट नं. 34 लीला विहार आवासीय कालोनी माण्डवी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
25	श्री रोहिताश कुमार आ. श्री नाथूराम	प्लाट नं. 35 लीला विहार आवासीय कालोनी माण्डवी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
26	श्रीमती निर्मला पत्नी श्री बालाराम	प्लाट नं. 71 का भाग गुणरंजना विहार आवासीय कालोनी माण्डवी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
27	श्री नानूराम आ. श्री भैरुलाल	बजरंग नगर 2 आवासीय कालोनी प्लाट नं. 33 का उत्तरी भाग गंगपुरा भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
28	श्री जगदीश आ. श्री अमरलाल	बजरंग नगर 2 आवासीय कालोनी प्लाट नं. 33 का दक्षिणी भाग गंगपुरा भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
29	श्रीमती न्योदान बाई पत्नी श्री मांगीलाल	अम्बेडकर नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 37 पचपहाड़	आवासीय कालोनी
30	श्री मांगीलाल आ. श्री रत्ताजी	अम्बेडकर नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 71 पचपहाड़	आवासीय कालोनी
31	श्रीमती शान्ति बाई पत्नी श्री नन्दकिशोर	अम्बेडकर नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 58 पचपहाड़	आवासीय कालोनी
32	श्री शम्भूलाल आ. श्री काना जी	बाबा रामदेव नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 07 गुराडिया भर्त्ता	आवासीय कालोनी
33	श्री रमेश चन्द आ. श्री शंकरलाल	गंगा आवासीय कालोनी प्लाट नं. 08 भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
34	श्री लड्डूलाल आ. श्री भूरालाल	कल्याणपुरा आवासीय कालोनी भीमनगर के पास प्लाट नं. 31 भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
35	श्री रामस्वरुप आ. श्री मूलचन्द	गोकुल गुर्जर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 76 का उत्तरी भाग व 77 का दक्षिणी भाग एवं 82 का भाग भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
36	श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी श्री बाबूलाल जी	त्रिमूर्ति आवासीय कालोनी प्लाट नं. 27 का उत्तरी भाग पचपहाड़	आवासीय कालोनी
37	श्रीमती माधुरी कुमारी पुत्री श्री विजय सिंह राजपूत	प्लाट नं. 14 मंगल नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
38	श्रीमती शकुंतला कुमारी पत्नी श्री बृजराज सिंह कुशवाह	खाटूश्याम विहार III आवासीय कालोनी प्लाट नं. 24 व 25 बांडीया बाग जाने वाले रास्ते पर माण्डवी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
39	श्रीमती भगवती बाई पत्नी श्री राकेश	मदरसा कालोनी प्लाट नं. 19 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
40	श्री हर्षित तिवारी आ. श्री राकेश कुमार तिवारी	गौत्तम नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 140 मैला ग्राउण्ड के पीछे भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
41	श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व. श्री शिवनारायण गुप्ता	श्रीनाथ पुरम आवासीय कालोनी प्लाट नं. 02 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
42	श्री जगदीश गुर्जर आ. श्री प्यारजी लाल	गगनभाई मार्केट आवासीय कालोनी प्लाट नं. 13 का पूर्वी भाग पुराना गाड़ी अड्डा वार्ड नं. 21 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
43	श्री पंकज कुमार आ. श्री श्यामलाल	प्रेमलता आवासीय कालोनी प्लाट नं. 16 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
44	श्री देवेन्द्र सेठीया आ. स्व. श्री मोहनलाल सेठीया	वार्ड नं. 18 ईदगाह से नेहरु पार्क रोड भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
45	श्री अनिल नरवान आ. श्री श्रवण कुमार नरवान	जवाहर नगर आवासीय कालोनी (ब्लॉक ब) प्लाट नं. 40 रामठी रोड वार्ड नं. 18 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
46	श्रीमती रानी शर्मा पत्नी श्री ईश्वर चन्द	अनन्त विहार आवासीय कालोनी प्लाट नं. बी-182 का दक्षिणी भाग भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भवानीमण्डी

'ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग मिलकर यातायात व्यवस्था सुधारें'

■ सड़क सीमा पर खड़े ठेले एवं थड़ियां हटाई जाएं : जिला कलेक्टर

कोटा, (निसं)। जिला सड़क सुरक्षा समिति की शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने शहर के विभिन्न मार्गों एवं चौराहों पर बेतरतीब ट्रैफिक की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बाधक बन रहे अतिक्रमण एवं सड़क पर खड़े रहने वाले थड़ी-ठेलों को सड़क सीमा से हटाकर आवागमन में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस एवं कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण रोधी दस्ते को मिलकर समन्वय से कार्य करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाने के निर्देश दिए।

डॉ. गोस्वामी ने नयापुरा चौराहे पर निजी ट्रेवल्स बसों, रोडवेज बसों एवं अन्य प्राइवेट बसों के सवारी लेने के लिए देर तक खड़े रहने से होने वाले ट्रैफिक जाम एवं अव्यवस्थाओं को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बस सवारी लेने के नाम पर दो मिनट से अधिक समय तक नयापुरा चौराहे पर खड़ी नहीं रहे।

निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बस ऑपरेटर्स के खिलाफ चालान बनाने के साथ ही सख्ती बरती जाए। जिला कलक्टर ने बड़ तिराहे पर स्थित नए बस स्टेंड से ही बसों के सवारी बिठाने की व्यवस्थाएं करने को कहा। साथ ही, बड़ तिराहे पर रात को निजी बसों की पार्किंग करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुमानपुरा एवं आस-पास के मार्केट में आने वाले चौपहिया एवं दुपहिया वाहनों को मल्टीपरपज स्कूल के पास बनी नई पार्किंग में ही पार्क करने की पुख्ता व्यवस्था की जाए तथा आसपास के एरिया को नो-पार्किंग जोन घोषित कर वहां वाहन खड़े करने पर पाबंदी लगाएं।

बैठक में अनंतपुरा से लव कुश वाटिका तक फलों के ठेले एवं ट्रक खड़े रहने से यातायात व्यवस्था में आ रही बाधा को देखते हुए वहां ट्रकों के खड़े रहने पर रोक लगाने, सेंट जोन स्कूल के पास विद्यालय समय में बजरी के ट्रकों के खड़े रहने पर पाबंदी लगाने, एरोड्रम से अनंतपुरा तक थड़ी-ठेले वालों को स्लिप लेन के अंदर खड़े रहने के लिए पाबंद करने, झालावाड़ से आने वाली बसों के एरोड्रम के पास स्लिप लेन के बाहर मुख्य मार्ग पर खड़ी करने से रोकने के निर्देश दिए गए।

डॉ गोस्वामी ने कहा कि नगर निगम एवं कोटा विकास प्राधिकरण पुलिस की मदद से यातायात में बाधक बन रहे थड़ी एवं ठेलों को सड़क सीमा से हटाकर पीछे खड़े रहने के लिए पाबंद करने की कार्रवाई करे। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग निजी ट्रेवल्स बसों द्वारा मनमाने तरीके से चौराहों पर कहीं भी बसें खड़ी कर सवारी लेने पर सख्ती से रोक लगाएं। बैठक में जिला कलक्टर ने कुन्हाड़ी फ्लाईओवर से पहले तथा शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर यातायात संकेतक बोर्ड लगाने, सड़कों पर निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगाने, सीएडी सर्किल से चम्बल गार्डन रोड पर लेन वाईज सुरक्षित यातायात संचालन के लिए प्लास्टिक के डिवाइडर लगाने, नयापुरा चम्बल नदी पर बने उच्च स्तरीय पुलों पर बैराज के गेट खोले जाने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भीड़ जमा होने से रोकने के लिए रैलिंग लगाने अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर कृष्णा शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दिलीप सैनी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात कमल प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक यूआईटी लोकेंद्र पालीवाल, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी आरके सोनी, परिवहन विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

शिविर में 71 श्रमिकों का स्वास्थ्य जांचा

कोटा, (निसं)। निरोगी कोटा स्वस्थ कोटा के तहत जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जगदीश कुमार सोनी कोटा के निर्देशानुसार शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की ओर से शिवा स्टोन क्रेशर चेचट रामगंज मंडी व आसपास के क्षेत्र मे सिलिकोसिस जागरुकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया।

खान में वह आसपास काम करने वाले 71 श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की और परामर्श दिया। मेडिकल टीम कोटा से डॉ हेमंत शर्मा चेस्ट फिजिशियन एवं लैब सुपरवाइजर पवन शर्मा एवं एसटीएस शैलेंद्र एवं चेचट स्टाफ से देवीलाल धाकड़ नर्सिंग ऑफिसर, रेखा सिसोदिया लैब टेक्नीशियन ने सेवाएं दी। शिविर में 71 श्रमिकों मै से 6 की स्पूटम जांच और 6 चेस्ट एक्सरे के लिए रेफर किया गया। वहीं, 37 की शुगर/बीपी की जांच की। कोटा से जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ एसएन मीणा ने बताया कि शिविर में आए लोगों को सिलिकोसिस रोग से बचाव के उपाय और बचाव के साधन अपनाने की हिदायत दी। खनन क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य करते समय व ब्लास्टिंग मशीन से खनन में काम करते समय उड़ती धूल-मिट्टी से बचाव करने, खनन क्षेत्रों के कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव करने, खनन कार्य के समय डस्ट मास्क का उपयोग करने जैसे उपाय बताए गए।

चुनाव सम्पन्न

कोटा, (निसं)। मॉडर्न स्कूल तलवंडी कोटा में विद्यार्थी परिषद के चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से सम्पन्न हुए। इन चुनावों को निष्पक्षता से परिपूर्ण करने के लिए एक चुनाव आयोग गठित किया गया जिसमें नियमानुसार चुनावी नियमों से सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया गया।

ENGINEERING COLLEGE BHARATPUR
(A Constituent College of Rajasthan Technical University, Kota)
Village-Shyorana, Near Sewar & National Highway-21, Bharatpur-321303
www.ecbharatpur.ac.in Email : principal.gecbharatpur@gmail.com Ph.: 05644-234911

No. F1(1)/GECBH/2024-25/RHTEQIS/Recruitment (ATA)/41 Date: 25.07.2024

CONTRACTUAL APPOINTMENTS (ASSISTANT TEACHING ASSOCIATES)

In compliance of the Technical Education Department, Govt. of Rajasthan order No. एफ 11(4)त.शि./2001 पार्ट वोल्यूम-1 दिनांक 03.05.2023 applications, in prescribed format, are invited from interested eligible candidates for contractual appointment on the post of **Assistant Teaching Associate** in various departments under Rajasthan Higher Technical Education Quality Improvement Scheme (RHTEQIS) at monthly fixed remuneration of INR 28850/- (Rupees Twenty Eight Thousand Eight Hundred Fifty only).

CSE (A.I.&D.S.)-01	CSE-02	Mechanical Engineering-01	Maths-01	Total
SC(F)-01	UR(F)(Widow)-01 EWS-01	ST-01	UR-01	05

**For Physically Challenged Reservation as per norms.
These contractual appointments, on merit basis, shall be made under Rajasthan Contractual Hiring on Civil Posts Rules 2022 for a period of ONE YEAR (extendable on satisfactory performance) or termination of the Scheme, whichever is earlier. Qualifications and experience for these posts will be as per norms of AICTE/UGC applicable for Teaching Posts as on date. Reservation applicable as per DOP, Govt. of Raj. order no. प. 7(2)कार्मिक/क-2/19, दिनांक 24.02.2020.

Candidate will have to attach following documents with application :
DD/BC for INR 200/- (Two Hundred only) towards application fee in favor of **Principal Engineering College Bharatpur**, Self-attested photo copies of Educational qualifications (mark sheets & certificates), GATE Score Card, Caste Certificate, Certificates of experience, document related to conversion of CGPA into percentage.
Age Limit : 40 years Maximum. Relaxation as per DOP order No. F. 17(4)DOP/A-2/2014, 11.01.2022 Last date for submitting hard copy of application **by registered speed post** is **16.08.2024**. College will not be held responsible for any postal delay and will be treated rejected.
Application form, rules and related documents are available on www.ecbharatpur.ac.in

PRINCIPAL

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-751 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-23.7.24

नगर विकास न्यास कोटा की विवेकानन्द नगर योजना के भूखंड/आवास संख्या 909 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 08.08.2001 को श्रीमती रामजोत बाई पत्नी श्री नाथू सिंह को किया गया था। आवंटी श्रीमती रामजोत बाई पत्नी श्री नाथू सिंह द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री बद्रीलाल जांगिड पुत्र श्री मूलचन्द जांगिड द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.04.24 को श्री घनश्याम कारपेंटर पुत्र श्री बद्रीलाल कारपेंटर को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 909 योजना विवेकानन्द नगर का नाम हस्तान्तरण श्री घनश्याम कारपेंटर पुत्र श्री बद्रीलाल कारपेंटर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ 11/विक्रय/2024/1178 **नाम हस्तान्तरण विज्ञप्ति** दिनांकः-26.7.24

नगर विकास न्यास कोटा की योजना वीर सावकर नगर योजना में भूखंड संख्या 183 आवंटी श्री ईश्वर लाल महावर पुत्र हुकमचन्द के नाम से आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 13.08.1994 को जारी किया गया था। मूल आवंटी श्री ईश्वर लाल महावर पुत्र हुकमचन्द की मृत्यु दिनांक 07.11.2009 को हो जाने के कारण उक्त आवास का नाम हस्तान्तरण हरीश महावीर पुत्र ईश्वर लाल के नाम दिनांक 10.12.2011 को हो चुका है। उक्त आवास का जर्ये रजिस्ट्री विक्रय पत्र 19.11.2012 को श्रीमती कल्पना ओझा पत्नी श्री कमल प्रसाद ओझा को दिनांक 18.09.2014 को नाम हस्तान्तरण किया जा चुका है। श्रीमती कल्पना ओझा द्वारा नियुक्त मुख्तारआम श्री शिव प्रकाश पुत्र राम कुंवार द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2024 द्वारा उक्त आवास का बैचान श्रीमती सुनिता बाई पत्नी श्री शिव प्रकाश को कर दिया गया है। श्रीमती सुनिता बाई द्वारा उक्त आवास का नाम हस्तान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 183 योजना वीर सावकर नगर का नाम हस्तान्तरण श्रीमती सुनिता बाई पत्नी श्री शिव प्रकाश के नाम हस्तान्तरण कर दी जावेगा।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांकः-नपबा/रुपा./2024/4423-24 **लोक सूचना** दिनांकः-26.7.24

मां वैष्णवी एजूकेशन इन्सटीटयूट एण्ड रिसर्च संस्थान बारां जर्ये अध्यक्ष प्रवीण शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी बारां तह. व जिला बारां ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।
अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील बारां	नलका	655/272 272 696/272 271 कुल किता 4	0.12 है. 0.24 है. 0.34 है. 0.13 है. कुल रकबा 0.83 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.....को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांकः-नपबा/रुपा./2024/4423-24 **लोक सूचना** दिनांकः-26.7.24

पं. दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्थान बारां जर्ये अध्यक्ष प्रवीण शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी बारां एवं गायत्री पत्नी ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी बारां व अम्बिका प्रशिक्षण संस्थान जर्ये सचिव प्रवीण शर्मा पुत्र श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी तह. व जिला बारां ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।
अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील बारां	नलका	269 270 697/270 कुल किता 3	0.23 है. 0.06 है. 0.05 है. कुल रकबा 0.34 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.....को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2862 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 26.7.24

आवास संख्या 5-ओ-6 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री धनीराम अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री धनीराम अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल के नाम दिनांक 24.03.1995 को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री धनीराम अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 19.07.2016 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनीराम अग्रवाल, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनीराम अग्रवाल, श्री आकाश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनीराम अग्रवाल एवं श्रीमती सुमन अग्रवाल पुत्री स्व. श्री धनीराम अग्रवाल पत्नी श्री विजय कुमार अग्रवाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये स्वत्व परित्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 24.12.2018 को श्रीमती मुन्नी अग्रवाल पत्नी स्व. श्री धनीराम अग्रवाल के पक्ष में किया गया। श्रीमती मुन्नी अग्रवाल पत्नी स्व. श्री धनीराम अग्रवाल द्वारा इस आवास का दान जरिये उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) आलेखित कर दिनांक 15.11.2022 को इनके पुत्र श्री नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनीराम अग्रवाल को किया गया। श्री नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनीराम अग्रवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5-ओ-6 महावीर नगर तृतीय कोटा को उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर श्री नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनीराम अग्रवाल का दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर श्री नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनीराम अग्रवाल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर श्री नवीन कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री धनीराम अग्रवाल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2833 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.7.24

आवास संख्या 5/214 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री प्रकाश चन्द मेहता पुत्र श्री उमराव सिंह मेहता को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री प्रकाश चन्द मेहता पुत्र श्री उमराव सिंह मेहता द्वारा दिनांक 04.05.2011 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री प्रकाश चन्द मेहता पुत्र श्री उमराव सिंह मेहता द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 05.06.2004 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्रीमती हेमलता खण्डेलवाल पत्नी श्री राजेश खण्डेलवाल को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती हेमलता खण्डेलवाल पत्नी श्री राजेश खण्डेलवाल द्वारा मुख्तार आम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.06.2011 को श्री अनिल खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री देवकरण खण्डेलवाल को किया गया। श्री अनिल खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री देवकरण खण्डेलवाल का नाम दिनांक 29.12.2023 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री अनिल खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री देवकरण खण्डेलवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 23.01.2024 को श्री हेमराज मीना पुत्र श्री हरिराम मीना एवं श्रीमती मोनिका मीना पुत्री श्री भगवान सिंह (पत्नी श्री हेमराज मीना) को संयुक्त रुप से किया गया। श्री हेमराज मीना पुत्र श्री हरिराम मीना एवं श्रीमती मोनिका मीना पुत्री श्री भगवान सिंह (पत्नी श्री हेमराज मीना) द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5/214 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री हेमराज मीना पुत्र श्री हरिराम मीना एवं श्रीमती मोनिका मीना पुत्री श्री भगवान सिंह (पत्नी श्री हेमराज मीना) का नाम संयुक्त रुप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री हेमराज मीना पुत्र श्री हरिराम मीना एवं श्रीमती मोनिका मीना पुत्री श्री भगवान सिंह (पत्नी श्री हेमराज मीना) का नाम संयुक्त रुप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री हेमराज मीना पुत्र श्री हरिराम मीना एवं श्रीमती मोनिका मीना पुत्री श्री भगवान सिंह (पत्नी श्री हे